न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
अधिकार वाद–38 / 2020

डोमनी देवी .....वादिनी

बनाम्

प्रेमा कुमारी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

29.01.2024 अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक– 07. 08.2023, अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. एवं प्रतिवादिनी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 04.09.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है मुकदमें के दौरान मद नं0 2 में वर्णित एराजी से प्रतिवादीगण ने वादीगण को वेदखल कर दिया है एवं उक्त भूमि पर माल मवेशी आदि रखकर वादीगण के खरीदगी भूमि पर कब्जा जमा लिया है जिसके निश्वत वाद पत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। वादीगण का आगे कथन है कि प्रतिवादीगण के द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त को रिट प्राप्त होने की जानकारी होने के बाद वादीगण को वेदखल किया गया है तथा वेदखली का प्रमाण प्रतिवेदन से भी प्रमाणित होता है। प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा वाद विषय का निर्धारण होना बाकी है तथा वादी दखल कब्जा प्राप्ति की डिक्री हेतु अपेक्षित न्यायशुल्क दाखिल करने के लिए तैयार है अतः निवेदन है कि प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत करते हुए वादीगण को वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है। वादीगण का संशोधन आवेदन परिसीमा अधिनियम के सिद्धान्त से बाधित है तथा यह प्रस्तावित संशोधन वाद को लंबित रखने एवं प्रतिवादीगण को तंग एवं परेशान करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र में वादीगण का कब्जा मद नं0 2 की एराजी पर न होने का अभिवचन पूर्व में ही अभिलिखित किया हुआ है तथा प्रस्तावित संशोधन असत्य एवं निराधार विलेखिय साक्ष्य के विरूद्ध है एवं न्यायालय को गुमराह एवं अंधेरे में रखकर वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है। अतः निवेदन है कि वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद नं0 2 में वर्णित भूमि पर हकियत की उद्घोषणा के लिए दाखिल किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी आपस में गोतनी है और दोनों अलग अलग बिक्रेता से खरीदार हैं।वादी का यह कथन कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित स्थल के वैज्ञानिक पैमाईश की जानकारी होने पर वादीगण को वेदखल कर दिया गया जिसके लिए वादपत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। वही प्रतिवादीगण का कथन है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का खरीदगी के समय से ही

दखल–कब्जा एवं हकियत प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में अभी विवाघक का गठन होना बाकी है एव प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के मध्य अन्तर्ग्रस्त वास्तविक प्रश्न के अवधारण के लिए प्रस्तावित संशोधन का अभिलेख पर आना न्याय की दृष्टि में आवश्यक प्रतीत होता है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन 700 रू0 खर्च प्रतिवादी को अदा करने के शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। वादी समयसीमा के अन्दर प्रतिवाद पत्र में संशोधन दर्ज कर लें। कार्यालय संशोधित वादपत्र में न्याय शुल्क के संबंध में सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग करें।

दिनांक– 19.02.2024 वास्ते धारा 89 सी0पी0सी0 पर सुनवाई हेतु।

कनीय न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी